



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042026-271735  
CG-DL-E-11042026-271735

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 251]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

## भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

फा. सं. DLDIV-20015/43/2026-PIU गाजियाबाद.— जबकि, दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, चरण-I, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अक्षरधाम (कि.मी. 0.000) से प्रारंभ होकर लक्ष्मी नगर-गीता कॉलोनी-बिहारिपुर-अंकुर बिहार-ट्रोनिका सिटी-मंडौला को जोड़ते हुए ईपीई क्रॉसिंग (खेकरा के निकट) (कि.मी. 31.600) पर समाप्त होता है, को छह लेन एक्सेस-नियंत्रित राजमार्ग के रूप में विकसित किया गया है।

और जबकि, इस राजमार्ग के विकास से पहले उपरोक्त स्थानों को जोड़ने/विभिन्न गंतव्य बिंदुओं तक पहुँच हेतु जनता के लिए सर्विस रोड, वैकल्पिक मार्ग एवं अन्य सड़कें उपलब्ध थीं और हैं;

और जबकि, इस राजमार्ग को हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है और इस राजमार्ग के लिए विभिन्न विवरणों के मोटर वाहनों की अधिकतम गति सीमा प्रासंगिक अधिसूचनाओं के अनुसार तय की गई है;

और जबकि, उच्च गति वाले वाहनों की आवाजाही तुलनात्मक रूप से धीमी गति से चलने वाले कुछ श्रेणी के वाहनों यथा दोपहिया, तिपहिया और अन्य धीमी गति वाले वाहन जैसे गैर-मोटर चालित वाहनों, कृषि ट्रैक्टर (ट्रैलर सहित अथवा उसके बिना) के गति अंतर तथा चपेट में आने की संभावना के कारण उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है, अतः यह सड़क सुरक्षा पहलुओं से समझौता है;

इसलिए, अब “राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002” की धारा 35 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों को दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-709B, चरण-I के एलीवेटेड खंड (कि.मी. 5+190 से कि.मी. 31+600) का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है:

- (i) मोटर साइकिल (स्कूटर और अन्य दोपहिया सहित);
- (ii) तिपहिया वाहन (ई-कार्ट और ई-रिक्शा सहित);
- (iii) गैर-मोटर चालित वाहन;
- (iv) कृषि ट्रैक्टर (ट्रेलर सहित अथवा उसके बिना);
- (v) मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन;
- (vi) क्वाड्रि-साइकिल;

संतोष कुमार यादव, अध्यक्ष एवं राजमार्ग प्रशासक

[विज्ञापन-III/4/असा./24/2026-27]

## NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2026

**F. No. DLDIV-20015/43/2026-PIU Ghaziabad.**— Whereas, the Delhi-Saharanpur National Highway, Phase-I, starting from Akshardham (Km. 0.000) in the NCT of Delhi connecting Laxmi Nagar-Geeta Colony-Biharipur-Ankur Vihar-Tronica city-Mandaula to EPE Crossing (Near Khekra) (Km. 31.600) has been developed as six lane access-controlled highway.

And whereas there have been and are service roads, alternative routes and roads available to the public for linking the above places/accessing various destination points before the development of this highways;

And whereas the highway has been developed as a high-speed corridor and the maximum speed limits for Motor Vehicles of various descriptions for the highway has been fixed as per relevant notifications;

And whereas the movement of high speed vehicles may pose risk to the safety of certain classes of comparatively slow moving vehicles e.g. two wheelers, three wheelers and other slow moving vehicles like non-motorized vehicles, agricultural tractors (with or without trailers) due to their vulnerability and associated speed differentials and compromise the road safety aspects;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under Section 35 of "The Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002", it is hereby ordered that the following classes of vehicles are prohibited from using the elevated section of Delhi Saharanpur National Highway NH709B, Phase-I from Km 5+190 to Km 31+600;

- (i) Motor Cycles (including scooters and other-wheelers);
- (ii) Three wheelers (including e-Carts and e-Rickshaws);
- (iii) Non- motorized vehicles;
- (iv) Agricultural Tractors with or without trailers
- (v) Multi Axle Hydraulic Trailer Vehicles
- (vi) Quadri-cycles;

SANTOSH KUMAR YADAV, Chairman and Highway Administrator

[ADVT.-III/4/Exty./24/2026-27]